

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 78/2024

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गुलाबसिंह पुत्र शैतानसिंह 2. नारायणसिंह पुत्र शैतानसिंह 3. शैतानसिंह पुत्र मोहबतसिंह जाति राजपुत, निवासी कोटड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मदनसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपुत, निवासी कोटड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादीगण - श्री अभयसिंह राठौड़।

--: निर्णय :-

दिनांक : 23.07.2025

वादीगण अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल कोटड़ा के ग्राम राणेजी की बस्ती के खेत खसरा नम्बर 1322/1188 रकबा 12.2757 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	गुलाबसिंह पुत्र शैतानसिंह 1/3 नारायणसिंह पुत्र शैतानसिंह 1/3 शैतानसिंह पुत्र मोहबतसिंह 1/3 कौम राजपुत सा. देह खातेदार	राणेजी की बस्ती	1322/1188	9.2068	बादो	-	गुलाबी
2	मदनसिंह पुत्र शैतानसिंह कौम राजपुत, सा. देह खातेदार	राणेजी की बस्ती	1322/1188	3.0689	बादो	-	नीला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।



निर्णय आज दिनांक 23.07.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
(बाड़मेर)

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
(बाड़मेर)

